भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4219

20 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आन्ध्र प्रदेश में चिकित्सा अवसंरचना

4219. श्री पुट्टा महेश कुमार:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश भर में प्रस्तावित, निर्माणाधीन और वर्तमान में कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीडब्ल्यूसी), चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों और अन्य अस्पतालों की राज्यवार और आंध्र प्रदेश में जिलावार विशेषकर इलुरू जिले में, कुल संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश भर में उक्त केन्द्रों और अस्पतालों के निर्माण और उन्नयन के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार/जिलावार, विशेषकर इलुरू जिले में कुल कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई;

(ग) आन्ध्र प्रदेश में विशेषकर इलुरू जिले में उक्त चिकित्सा अवसंरचना से संबंधित निर्माणाधीन/उन्नयन परियोजना सहित प्रस्तावित प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) क्या सरकार की अगले पांच वर्षों में आन्ध्र प्रदेश राज्य में विशेषकर इलुरू जिले में चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल स्थापित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ) भारत के स्वास्थ्य आयाम (एचडीआई) (अवसंरचना और मानव संसाधन) 2022-23 एक वार्षिक प्रकाशन है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए स्वास्थ्य परिचर्या प्रशासनिक आंकड़ों पर आधारित है। आंध्र प्रदेश और इलुरू जिले सहित विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्यशील स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों का विवरण एचडीआई 2022-23 के निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infrastructure%20%26%20Human%20Resources%29%202022-23_RE%20%281%29.pdf

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार, स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पसेवित और हाशिए पर रह रहे

समूहों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता और पहुंच में सुधार के लिए सहायता प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एनएचएम के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करती है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश और इलुरू जिले में अनुमोदित और पूरी की गई परियोजनाओं की संख्या निम्नानुसार है:

		आन्ध्र प्रदेश		इलुरू जिला	
स्कीम	सुविधा केंद्र	अनुमोदित	पूर्ण	अनुमोदित	पूर्ण
एनएचएम	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी)	6	5	4	0
	मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग	4	3	0	0
	स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र	2,727	2,727	107	107
15वां-वित्त आयोग (एफसी)	पीएचसी	100	1	4	0
	ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयां	334	35	15	1
	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	9	0	0	0
प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)	एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं	26	13	1	0
	गंभीर परिचर्या ब्लॉक्स	24	0	1	0

पिछले पांच वर्षों में एनएचएम के अंतर्गत अवसंरचना सुदृढ़ीकरण पर दिए गए आंध्र प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार एसपीआईपी अनुमोदनों और किए गए व्यय का ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के लिए पीएम-एबीएचआईएम के तहत 1271.8 करोड़ रुपये की कुल राशि को मंजूरी दी गई है। वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के लिए बिल आयोग-XV स्वास्थ्य अनुदान के तहत 2600.8 करोड़ रुपये की कुल राशि को मंजूरी दी गई है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अल्पसेवित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों, जहां कोई मौजूदा सरकारी

या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है, को प्राथमिकता देते हुए 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) संचालित करता है जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच निधियों की भागीदारी की व्यवस्था पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में और अन्य के लिए 60:40 के अनुपात में है। इस स्कीम के अंतर्गत, आंध्र प्रदेश राज्य के पिडुगुराल्ला, पडेरू और मछलीपट्टनम जिलों में 3 मेडिकल कॉलेजों सहित तीन चरणों में 157 मेडिकल कॉलेज अनुमोदित किए गए हैं। आन्ध्र प्रदेश में तीन मेडिकल कालेजों में से पडेरू और मछलीपट्टनम कार्यशील है।

अनुलग्नक

वित्त वर्ष **2019-20** से वित्त वर्ष **2023-24** तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत अवसंरचना सुदृढीकरण पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार एसपीआईपी अनुमोदन और व्यय

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
		एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय	एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय	एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय	एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय	एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	340.00	47.05	135.00	59.76	159.00	2.52	2.00	3.70	5.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	43,234.00	9,016.00	14,399.00	44,164.00	2,583.25	2,682.25	633.06	315.88	875.72	52.56
3	अरुणाचल प्रदेश	2,549.94	1,555.67	2,828.89	1,893.17	5,674.45	4,386.79	4,737.52	6,568.85	2,069.80	5,382.51
4	असम	18,009.34	12,329.25	33,641.14	18,510.37	23,425.82	15,546.48	35,925.05	9,521.74	10,500.34	9,024.95
5	बिहार	52,755.20	49,729.68	36,745.92	23,441.59	37,842.57	13,032.84	99,387.56	36,055.09	52,900.70	45,692.16
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ	12,983.45	12,360.49	14,686.45	10,227.16	15,047.86	4,106.67	7,789.77	6,970.37	7,789.77	6,682.68
8	दादरा एवं नगर हवेली	1.92	0.00	5.76	3.11	2.88	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00
	दमन और दीव	5.76	0.90								
9	दिल्ली	1,012.12	208.30	381.96	200.48	681.80	172.50	1,399.96	2,285.11	1,399.96	2,255.23
10	गोवा	36.32	31.11	119.60	15.31	125.95	54.58	260.26	134.17	225.34	197.82
11	गुजरात	3,901.65	2,151.18	2,185.12	2,110.96	878.22	564.05	5,028.85	253.57	353.08	642.44
12	हरियाणा	7,603.28	480.06	17,020.75	991.97	12,804.52	755.18	8,555.93	8,937.08	335.90	303.64
13	हिमाचल प्रदेश	5,521.00	1,759.30	8,731.00	3,067.99	3,547.39	3,149.75	0.00	0.00	600.00	0.00
14	जम्मू और कश्मीर	6,805.35	2,676.43	4,505.65	2,157.84	3,433.33	579.19	1,599.96	498.41	3,375.46	2,905.67
15	झारखंड	11,349.15	3,413.16	10,591.96	4,982.45	2,494.78	2,389.54	9,373.36	3,713.19	8,850.36	6,599.20
16	कर्नाटक	25,128.33	17,575.18	19,381.04	22,122.67	15,324.05	15,833.87	7,613.96	5,158.75	4,789.20	6,307.16

17	केरल	14,310.07	3,119.15	11,316.81	6,700.47	5,897.00	4,539.01	12,709.03	5,319.77	18,104.34	3,856.56
18	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	मध्य प्रदेश	30,611.22	22,132.43	53,937.59	29,953.79	25,482.92	14,190.80	19,866.87	22,572.53	42,679.70	25,574.97
20	महाराष्ट्र	79,683.45	38,415.53	49,479.00	39,940.64	55,881.84	21,942.42	61,535.48	24,932.60	60,134.13	33,948.75
21	मणिपुर	1,779.33	633.92	2,633.15	273.96	2,999.42	683.74	1,796.82	44.62	16.41	14.77
22	मेघालय	954.68	517.93	1,444.80	722.91	1,656.32	262.55	1,096.27	864.35	69.49	886.06
23	मिजोरम	449.17	207.73	570.03	235.33	35.40	44.42	36.75	14.37	33.79	25.42
24	नगालैंड	1,100.19	611.24	3,943.01	616.37	1,074.84	1,370.75	3,073.78	1,138.36	2,132.23	1,375.81
25	ओडिशा	43,027.62	42,120.12	21,229.04	37,077.63	32,846.14	35,621.88	62,574.68	84,110.12	48,034.45	58,810.00
26	पुदुचेरी	58.00	67.69	14.88	124.65	26.16	1.17	6.36	8.54	6.48	2.78
27	पंजाब	7,121.00	3,598.90	9,096.00	6,820.97	5,201.90	3,759.31	990.10	40.87	190.60	190.60
28	राजस्थान	53,999.20	27,741.29	96,888.58	31,983.06	85,616.83	14,112.39	57,577.61	28,782.14	57,736.11	46,950.24
29	सिक्किम	693.17	409.03	388.52	394.38	391.84	237.11	52.51	6.44	64.37	32.18
30	तमिलनाडु	27,386.93	36,814.46	36,251.27	31,670.27	26,196.13	27,738.27	56,033.70	41,677.06	79,790.36	45,563.89
31	तेलंगाना	31,612.33	1,758.59	15,012.86	10,626.89	7,640.83	12,909.19	11,534.19	15,478.29	41,042.91	6,920.11
32	त्रिपुरा	5,051.69	1,643.88	4,549.00	3,451.67	4,998.54	4,206.31	5,149.70	4,185.24	4,518.05	3,010.20
33	उत्तर प्रदेश	45,650.91	34,651.36	1,47,304.31	26,830.36	1,24,665.62	12,736.34	42,730.00	18,346.25	1,71,102.14	5,026.42
34	उत्तराखंड	7,082.25	7,278.15	10,574.88	7,963.54	13,588.14	15,159.27	10,604.54	5,195.83	1,238.88	3,454.42
35	पश्चिम बंगाल	16,703.00	4,783.51	18,282.20	11,930.55	7,984.58	2,217.18	11,212.94	1,899.55	3,005.22	3,506.23
36	लद्दाख	0.00	0.00	3,240.67	518.06	3,125.00	470.95	2,691.15	1,215.87	2,334.65	1,349.92

टिप्पणी:

1. व्यय में केन्द्रीय निधि, राज्य अंश और वर्ष के आरंभ में अव्ययित शेष राशि के सापेक्ष व्यय शामिल है।

2.एसपीआईपी अनुमोदन और व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध वित्तीय प्रबंधन रिपोर्टों के अनुसार है और अनंतिम हैं।

3. जम्मू और कश्मीर राज्य (जम्मू और कश्मीर) के संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख में पुनर्गठन के बाद, वर्ष 2020-21 के दौरान पहली बार लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र को एनएचएम निधि जारी की गई थी।

*****